रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

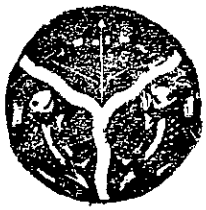

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 25 सितम्बर, 1974

आश्विन 3, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 3457/सत्रह–वि––1––51-74

लखनऊ, 25 सितम्बर, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान,' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 22 सितम्बर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का निरसन करने और कतिपय परिष्कारों के साथ उसे पुनः अधिनियमित करने और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अपेक्षतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 10, 1973 का निरसन और परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और धारा 3 से 18 में दिये गये परिष्कारों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है।

शीर्षक और उद्देशिका का संशोधन

3—मूल अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, और वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।

धारा 1 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में, खण्ड (ख) निकाल दिया जाय।

धारा 2 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(1) खण्ड (4) में, शब्द "इस अधिनियम" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों" रख दिये जायें।

(2) खण्ड (18) में, शब्द "विश्वविद्यालय या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा शिक्षण अथवा अनुसंधान कार्य में मार्ग-दर्शन या संचालन के लिए" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अथवा अनुसंधान कार्य में मार्ग दर्शन या संचालन के लिए" रख दिये जायें।

धारा 4 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"(1-क) ऐसी तारीख या तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे,

(क) झांसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय; और

(ग) बरेली में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय;

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए स्थापित किये जायेंगे।

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक, पद धारण करेंगे;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।"

धारा 13 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) में, शब्द तथा अंक "धारा 10 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 10 तथा 68 के अधीन" रख दिये जायें।

8—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, शब्द "कुल सचिव, उप-कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के पदों पर" के स्थान पर शब्द "कुल सचिव, उप-कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के प्रशासनिक पदों पर" रख दिये जायें। धारा 17 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 20 का संशोधन

"(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और उसके खण्ड (च) और (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी"।

10—मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, वर्ग 6, खण्ड (XIII) निकाल दिया जाय। धारा 22 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 27 में— धारा 27 का संशोधन

(क) उपधारा (4) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायगी :

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण किये रहेगा जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हो।"

12—मूल अधिनियम की धारा 31 में— धारा 31 का संशोधन

(1) उपधारा (4) के खण्ड (घ) में, विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी;"

(2) उपधारा (5) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायगा।"

(3) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

"(7-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।"

(4) उपधारा (11) में,—

(क) शब्द "भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालय की दशा में" के स्थान

पर शब्द "ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की दशा में (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हों)" रख दिये जाय;

(ख) उपखण्ड (ii) में शब्द "अधिनियम और परिनियमों" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायें और तदंतर से रखे गये समझे जायें।

धारा 34 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) में, शब्द "और उनके द्वारा धारण किये जाने वाले पारिश्रमिक पद वही होंगे जो विहित किये जायें" के स्थान पर शब्द "वही होंगी जो विहित की जायें" रख दिये जायें।

धारा 49 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 49 में, खण्ड (ण) में, शब्द "जिनके अन्तर्गत और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण भी है", के स्थान पर शब्द "जिनके अन्तर्गत उनके द्वारा अपनी विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम भी है" रख दिये जायें।

धारा 50 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(1-क) राज्य सरकार ऐसे परिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो।"

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) कार्य परिषद्, प्रथम परिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।"

नयी धारा 72-क का बढ़ाया जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"72-(क)—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

काशी विद्यापीठ के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशी विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियां न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा जिस पर कि वह उक्त तारीख को धारण कर रहा था;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्सम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्सम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।"

धारा 74 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (3) में,—

(1) खण्ड (क) निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें, अर्थात्:—

"(छ) वाराणसी जिले में स्थित काशी नरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कालेज, जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था; या

(2) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए विद्या वर्ष 1973–74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रदिष्ट था; या

(3) वर्ष 1974 में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 1975 में, उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो ;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी ।

(ज) जब तक कि धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकायों का गठन न हो जाय, धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) प्रबन्धतंत्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(2) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य, और

(3) तीन विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।"

अनुसूची का संशोधन

18—मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम-संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायें, अर्थात्:—

"3—आगरा विश्वविद्यालय—	
(1) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बदायूं, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले ।
(2) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो जान पर।	आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपरी तथा मथुरा जिले ।
4—गोरखपुर विश्वविद्यालय—	
(1) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा वाराणसी जिले ।
(2) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी जिलें ।

5—कानपुर विश्वविद्यालय—

(1) बुन्देलखण्ड और अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक।	इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
(2) बुन्देलखण्ड और अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाने पर।	इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
6—मेरठ विश्वविद्यालय	बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले।
7—कुमायूं विश्वविद्यालय	अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले।
8—गढ़वाल विश्वविद्यालय	चमोली, देहरादून, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तर काशी जिले।
9—बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा ललितपुर जिले।
10—अवध विश्वविद्यालय	बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले।
11—रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय	बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 45, 1958 के दीर्घ शीर्षक तथा उद्देशिका का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "एक कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "कृषि विश्वविद्यालयों को" और उद्देशिका में, शब्द "एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय" के स्थान पर शब्द "कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किये जायें" रख दिये जायें।

धारा 1 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम" रख दिये जायें।

धारा 2 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ठ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य, यथास्थिति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अथवा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से है।"

नई धारा 2-क का बढ़ाया जाना

22—मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"2-क (1) इस धारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पंतनगर में विद्यमान गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे (जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है)—

फैजाबाद तथा कानपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना

(1) फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय की जो नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा, और

(2) कानपुर में एक विश्वविद्यालय की जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा,

स्थापना की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में--

(क) राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।"

धारा 3 का संशोधन

23--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(1) कुलाधिपति, कुलपति और बोर्ड तथा विद्वत् परिषद् के सदस्यों से जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में तत्समय पद धारण कर रहे हों, उस विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संकाय गठित होगा।"

नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

24--मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

कतिपय प्रयोजनों के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता

"6-क प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-कार्य के संबंध में धारा 6 के अधीन विश्वविद्यालय के अधिकारों का प्रयोग अनुसूची में प्रत्येक के सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में किया जा सकेगा।"

धारा 35 का निकाला जाना

25--मूल अधिनियम की धारा 35 निकाल दी जाय।

अनुसूची का बढ़ाया जाना

26--मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय--	
	(क) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
	(ख) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	कुमायूं, गढ़वाल, रुहेलखण्ड और मेरठ डिवीजन।
2	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन
3	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	लखनऊ, झांसी, आगरा और इलाहाबाद डिवीजन।

सामान्य संशोधन

27—मूल अधिनियम में जहां-जहां शब्द "कुलपति (Chancellor)", "उपकुलपति (Vice-Chancellor)" और "रजिस्ट्रार (Registrar)" प्रयुक्त हों, वहां-वहां क्रमशः शब्द "कुलाधिपति (Chancellor)", "कुलपति (Vice-Chancellor)" तथा कुल सचिव (Registrar)" रख दिये जायं ।

अध्याय 4

अस्थायी उपबन्ध

कठिनाइयों को दूर करना

28—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टतः, बुन्देलखण्ड, अवध, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालयों अथवा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 2 तथा 3 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसी कालावधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

No. 3457(2)/XVII-V-1—51-74

Dated Lucknow, September 25, 1974

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishwavidyalaya (Punah Adhiniyaman tatha Sanshodhan) Adhiniyam, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 22, 1974:

THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES (RE-ENACTMENT AND AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. ACT No. 29 OF 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and to re-enact the same with certain modifications and to further amend the Uttar Pradesh Agricultural University Act, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973

Repeal and re-enactment with modifications of President's Act no. 10 of 1973.

2. The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), is hereby repealed and re-enacted with the modifications set out in sections 3 to 18.

3. In the title of the principal Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted*, and *for* the existing preamble, the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted*. Amendment of title and preamble.

4. In section 1 of the principal Act, in sub-section (4), clause (*b*) shall be *omitted*. Amendment of section 1.

5. In section 2 of the principal Act— Amendment of section 2.

(i) in clause (4), *for* the words "this Act", the words "this Act and the Statutes of the University" shall be *substituted*;

(ii) in clause (18), *for* the words "by the University or by a constituent, affiliated or associated college for imparting instruction or guiding or conducting research", the words "for imparting instruction or guiding or conducting research in the University or in an Institute or in a constituent, affiliated or associated college" shall be *substituted*.

6. In section 4 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 4.

"(1-A) With effect from such date or dates as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint in this behalf, there shall be established—

(*a*) a University of Bundelkhand at Jhansi;

(*b*) a University of Avadh at Faizabad ; and

(*c*) a University of Rohilkhand at Bareilly;

for the areas respectively specified in the Schedule.

(1-B) In relation to the Universities to be established under sub-section (1-A)—

(*a*) the State Government shall appoint interim officers of the Universities (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of such Universities in such manner as it thinks fit;

(*b*) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (*a*) shall hold office for a term of two years from the date of such appointment or constitution, as the case may be;

(*c*) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such Universities in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (*b*)."

7. In section 13 of the principal Act, in sub-section (4), *for* the words and figures "under section 10", the words and figures "under sections 10 and 68" shall be *substituted*. Amendment of section 13.

8. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "the posts of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars", the words "the administrative posts of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars" shall be *substituted*. Amendment of section 17.

9. In section 20 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 20.

"(2) The terms of office of members mentioned in clauses (*c*), (*d*) and (*e*) of sub-section (1) shall be one year and of members mentioned in clauses (*f*) and (*g*) thereof shall be three years."

10. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), class VI, clause (xiii) shall be *omitted*. Amendment of section 22.

11. In section 27 of the principal Act— Amendment of section 27.

(*a*) in sub-section (4), *for* the first proviso, the following proviso thereto shall be *substituted*, namely :—

"Provided that in the case of a Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts College, the Principal of such college shall be the *ex officio* Dean of Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts Faculty, as the case may be";

(*b*) *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(6) In each Department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes :

Provided that every person holding the office of Head of Department immediately before the date of commencement of this sub-section shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, continue to hold office on the same terms and conditions as he held immediately before the said date."

Amendment of section 31.

12. In section 31 of the principal Act—

(i) in sub-section (4), in clause (*d*), before the existing proviso the following proviso shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"Provided that in the case of a college where there is no principal or other teacher available for being a member of the Selection Committee under sub-clause (ii), the remaining members referred to in this clause shall constitute such Selection Committee :" ;

(ii) in sub-section (5), *after* clause (*c*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*d*) The Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, may intimate in a specified order, a larger number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the Selection Committee. In such case, on any person whose name appears higher in the specified order not being available for a meeting of the Selection Committee, a person whose name appears nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the Committee."

(iii) *after* sub-section (7), the following sub-section shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(7-A) It shall be open to the Selection Committee to recommend one or more but not more than three names for each post."

(iv) in sub-section (11),—

(*a*) *for* the words "colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India", the words "affiliated or associated colleges (other than those maintained exclusively by the State Government or by a local authority)" shall be *substituted :*

(*b*) in clause (ii) *for* the words "the Act and the Statutes", the words "this Act" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted.*

Amendment of section 34.

13. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), the words "and the holding of the remunerative offices by them" shall be *omitted.*

Amendment of section 49.

14. In section 49 of the principal Act, in clause (*o*), *for* the words, "including the rules of conduct to be observed by them", the words "including the maintenance by them of their annual academic progress report and the rules of conduct to be observed by them" shall be *substituted.*

Amendment of section 50.

15. In section 50 of the principal Act—

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) The State Government may by notification in the *Gazette* amend whether by way of addition, substitution or omission, the First Statutes at any time within a period of one year from the date of commencement of such Statutes, and any such amendment may be retrospective to a date not earlier than the date of such commencement."

(ii) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) The Executive Council may, at any time after the expiration of a period of one year from the date of commencement of the First

Statutes, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A)."

Insertion of new section 72-A.

16. *After* section 72 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"72-A. Notwithstanding anything contained in this Act—

Transitory provisions regarding Kashi Vidyapith.

(*a*) every person holding office as an officer (other than the Chancellor) of the Kashi Vidyapith on the date immediately before its establishment as a University shall continue to hold office as such on the same terms and conditions except as respects tenure as he held on the said date until fresh appointments are made under clause (*b*) ;

(*b*) as soon as may be after the commencement of this section, the State Government may appoint interim officers of the said University (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of the said University in such manner as it thinks fit, upon which the corresponding officers referred to in clause (*a*) shall cease to hold office and the corresponding authorities, shall stand dissolved forthwith ;

(*c*) the officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (*b*) shall hold office for a term of two years from the date of such appointment or constitution, as the case may be ;

(*d*) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the said University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (*c*)."

Amendment of section 74.

17. In section 74 of the principal Act, in sub-section (3)—

(i) clause (*a*) shall be *omitted* ;

(ii) *after* clause (*f*), the following clauses shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(*g*) every student of the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, or the Government Degree College, Jakhni, situate in district Varanasi, or the Government Degree College, Rishikesh, situate in district Dehra Dun, who—

(1) immediately before the commencement of Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, was studying for a degree of the University of Agra ; or

(2) was admitted as a student of any of the said colleges during the academic year 1973-74 for a degree of the said University ; or

(3) is eligible to appear at any degree examination of the said University in the year 1974 or in the year 1975 as an ex-student ;

shall be permitted to complete his course in accordance with the syllabus of the University of Agra, and necessary arrangements for the instruction and examination of such students shall be made by the University of Agra and on the results of such examination, the degree may be conferred by that very University ;

(*h*) until the Faculties are constituted in the Universities referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) or section 4, the Selection Committee referred to in clause (*c*) of sub-section (4) of section 31 shall consist of the following members, namely—

(1) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him, who shall be the Chairman ;

(2) one member of the Management nominated by the Management ; and

(3) three experts to be nominated by the Vice-Chancellor."

Amendment of the Schedule.

18. In the Schedule to the principal Act, *for* the entries at serial numbers 3, 4, 5, 6, 7, and 8, the following entries shall respectively be *substituted*, namely :—

"3. The University of Agra—	
(i) until the establishment of the University of Rohilkhand.	Districts of Agra, Aligarh, Bareilly, Bijnor, Badaun, Etah, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur.
(ii) upon the establishment of the University of Rohilkhand.	Districts of Agra, Aligarh, Etah, Mainpuri and Mathura.
4. The University of Gorakhpur—	
(i) until the establishment of the University of Avadh.	Districts of Azamgarh, Bahraich, Ballia, Basti, Deoria, Faizabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Jaunpur, Mirzapur, Pratapgarh, Sultanpur and Varanasi.
(ii) upon the establishment of the University of Avadh.	Districts of Azamgarh, Ballia, Basti, Deoria, Ghazipur, Gorakhpur, Jaunpur, Mirzapur and Varanasi.
5. The University of Kanpur—	
(i) until the establishment of the Universities of Bundelkhand and Avadh.	Districts of Allahabad, Banda, Bara Banki, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur, and Unnao excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
(ii) upon the establishment of the Universities of Bundelkhand and Avadh.	Districts of Allahabad, Etawah, Fatehpur, Farrukhabad, Hardoi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
6. The University of Meerut	Districts of Bulandshahr, Meerut, Muzaffarnagar and Saharanpur.
7. The University of Kumaun	Districts of Almora, Naini Tal and Pithoragarh.
8. The University of Garhwal.	Districts of Chamoli, Dehra Dun, Garhwal, Tehri-Garhwal and Uttar Kashi.
9. The University of Bundelkhand	Districts of Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur.
10. The University of Avadh.	Districts of Bahraich, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh and Sultanpur.
11. The University of Rohilkhand	Districts of Budaun, Bareilly, Bijnor, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur."

CHAPTER III

AMENDMENT OF UTTAR PRADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY ACT, 1958

Amendment of long title and Preamble of U. P. Act no. 45 of 1958.

19. In the long title and the preamble of the Uttar Pradesh Agricultural University Act, 1958 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act) *for* the words "an Agricultural University", the words "Agricultural Universities" shall be *substituted*.

20. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "Uttar Pradesh Agricultural University Act," the words "Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam" shall be *substituted*. Amendment of section 1.

21. In section 2 of the principal Act, *for* clause (1), the following clause shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 2.

"(1) 'University' means the Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, or the Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, as the case may be."

22 *After* section 2 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 2-A.

"2-A. (1) Besides the Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya in existence at Pantnagar, immediately before the commencement of this section, there shall be established, with effect from such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* appoint in that behalf (hereinafter referred to as the appointed day) — Establishment of Universities at Faizabad and Kanpur.

(i) a University at Faizabad to be known as the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya ; and

(ii) a University at Kanpur to be known as Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.

(2) In relation to the Universities to be established under sub-section (1) —

(*a*) the State Government shall appoint interim officers of the Universities (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of such Universities, in such manner as it thinks fit ;

(*b*) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (*a*) shall hold office for a term of two years from the date of such appointment or constitution, as the case may be ;

(*c*) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such Universities in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (*b*)."

23. In section 3 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 3.

"(1) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the Members of the Board and the Academic Council for the time being holding office as such in each University shall constitute a body corporate by the name of that University."

24. *After* section 6 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 6-A.

"6-A. The powers of the University under section 6 shall with respect to the Extension, Training and Research be exercisable in respect of the area for the time being specified against it in the Schedule." Territorial Jurisdiction for certain purposes.

25. Section 35 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 35.

Insertion of the Schedule.

26. *After* section 36 of the principal Act, the following Schedule shall be *inserted*, namely :—

"THE SCHEDULE

(*See* SECTION 6-A)

Serial no.	Name of the University	Area within which the University shall exercise jurisdiction for purposes of extension, training and research.
1.	Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya—	
	(*a*) until the establishment of the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya and Chandrashekher Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.	The whole of Uttar Pradesh.
	(*b*) upon the establishment of the Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya and Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.	Kumaun, Garhwal, Rohilkhand and Meerut Divisions.
2.	Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.	Faizabad, Gorakhpur and Varanasi Divisions.
3.	Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.	Lucknow, Jhansi, Agra and Allahabad Divisions."

General Amendment.

27. In the principal Act, *for* the words "The Chancellor", "the Vice-Chancellor" and "the Registrar", wherever occurring, the words "Kuladhipati (Chancellor)," "Kulpati (Vice-Chancellor)" and "Kul Sachiv (Registrar)" shall respectively be *substituted*.

CHAPTER IV

TRANSITORY PROVISIONS

Removal of Difficulties.

28. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the establishment and functioning of the Universities of Bundelkhand, Avadh, Rohilkhand or Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or Chandrashekher Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya by order published in the Official *Gazette* direct that the provisions of the enactments referred to in Chapters II and III shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptation whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र सक्सेना,

संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 195 सा० (विधायिका)—1974—1,525 (मै०)।